सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत 17 बिन्दुओं पर पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के अधीन मत्स्य–प्रक्षेत्र का मैनुअल।

धारा(4) (1) ख (i)
संगठन की विशिष्टियाँ कृत्य एवं कर्तव्य

वित्त विभाग के शाखा के रुप में मत्स्य विकास का कार्य वर्ष 1929 में प्रारंभ हुआ । इसे बाद में उद्योग विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया । वर्ष 1952 में यह मत्स्य शाखा कृषि विभाग को सौंपी गयी । मत्स्य विकास के बढ़ते कदम को देखते हुए, मत्स्य निदेशालय का संगठन वर्ष 1964 में किया गया । तबसे यह निदेशालय कार्यरत हैं, जिसके माध्यम से मत्स्य प्रचार–प्रसार, शोध एवं मत्स्य उत्पादन की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों से मत्स्य कृषकों को सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है । निदेशक मत्स्य, मत्स्य निदेशालय के विभागाध्यक्ष हैं और इनके अधीन संयुक्त मत्स्य निदेशक, उप मत्स्य निदेशक एवं विभिन्न जिलों में पदस्थापित जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हैं । निदेशालय स्तर पर विभाग कार्यों के निष्पादन हेतु निदेशालय में दो प्रशाखाएँ कार्यरत हैं । मत्स्य कार्यों के संपादन, पर्यवेक्षण, प्रशासन एवं कार्यान्वयन हेतु कार्यरत प्रशासनिक स्वीकृत संस्था निम्न प्रकार है ः–

संयुक्त मत्स्य निदेशक अनुसंधान कार्यालय	–	1
उप निदेशक परिक्षेत्र कार्यालय	–	5
जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी कार्यालय	–	33

<u>**कार्यालय खुलने का समय**</u>	–	9.30 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक
अवकाश का दिन	–	शनिवार, रविवार एवं बिहार गजट में घोषित तिथि

निदेशालय में कार्यरत शाखाओं का कार्य निम्न प्रकार है ः–

शाखा – स्थापना	–	राजपत्रित स्थापना/ अराजपत्रित स्थापना
शाखा– लेखा	–	लेखा
शाख – राज्य परियोजना इकाई	–	मत्स्य पालक विकास अभिकरण के कार्यक्रमों का अनुश्रवण

मत्स्य अनुसंधान कार्य हेतु मत्स्य अनुसंधान केन्द्र, मीठापुर, पटना में स्थापित है । संयुक्त मत्स्य निदेशक के अधीन तीन कनीय अनुसंधान पदाधिकारी के साथ–साथ सहायक निदेशक पदस्थापित हैं । इनके द्वारा विभिन्न शोध कार्य का संपादन एवं क्षेत्रीय स्तर पर होनेवाले मत्स्य विकास के समस्याओं का निदान एवं प्रसार कार्य का संपादन किया जाता है । संयुक्त मत्स्य निदेशक को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की शक्ति प्रदत्त है और इनके अधीन सभी पदस्थापित पदाधिकारियों के नियंत्री पदाधिकारी हैं ।

धारा(4) (1) ख (ii)

आधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य

प्रधान सचिव में सरकार की निदेशों एवं नीतियों को सफलता पूर्वक संचालित करने के लिए उत्तरदायी है। वे कार्यपालिका नियमावली के अन्तर्गत सरकार का निर्णय प्राप्त कर उन्हें कार्यान्वित कराते हैं ।

निदेशक मत्स्य, प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी प्रधान हैं। सभी प्रकार के तकनीकी विषयों में ये विभाग के जिम्मेवार सलाहकार भी हैं।

निदेशक मत्स्य के उत्तरदायित्वों के निर्वहन में समुचित सहयोग एवं अपेक्षित सहायता प्रदान करने के लिये निदेशालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर अनेक पदाधिकारी एवं विषय विशेषज्ञ पदाधिकारी पदस्थापित है, जो निदेशक मत्स्य के अधीन इनके द्वारा सुपुर्द किये गये कार्यों का सम्पादन एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा निर्धारित नीतियों एवं नियमों के अन्तर्गत करते हैं।

मत्स्य विकास हेतु प्रचार–प्रसार एवं शोध कार्य ही मत्स्य निदेशालय का मुख्य कार्य है । इसके अतिरिक्त निदेशालय के अधीन सभी प्रकार के जलकरों का विकास, बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम 2006, के तहत् जलकरों की बन्दोबस्ती राजस्व वसूली, उन्नत नश्ल के मत्स्य–बीज का उत्पादन एवं मत्स्य कृषकों के बीच वितरण, प्रशिक्षण प्रदान करना मुख्य कार्य है । सभी 33 जिलों में मत्स्य पालक विकास अभिकरण पंजीकृत है, जिसके अध्यक्ष जिला पदाधिकारी हैं एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी इसके सदस्य सचिव हैं । केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के तहत् मत्स्य विकास हेतु भारत–सरकार के 75% एवं राज्य–सरकार द्वारा 25 के अंशदान पर प्राप्त होने वाले अनुदान का वितरण निर्धारित मापदंड के अनुरुप किया जाता है । जिला स्तर पर चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में मत्स्य विकास की योजनों को सम्मिलित कर इनके कार्यान्वयन का मुख्य दायित्व मत्स्य पालक विकास अभिकरण का है । विकास कार्यक्रमों से संबंधित प्रतिवेदन प्रत्येक माह मत्स्य निदेशालय को मत्स्य परिक्षेत्र कार्यालयों से प्रेषित किये जाते हैं, जिनका संकलन मत्स्य निदेशालय में सांख्यिकी पदाधिकारी एवं राज्य परियोजना इकाई द्वारा किया जाता है ।

धारा(4) (1) ख (iii)

निर्णय लेने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया (पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सहित)

वेतन

प्रत्येक माह में वेतन विपत्र तैयार कर कोषागार भेजा जाता है। कोषागार से विपत्र पारित होने पर संबंधित कर्मचारी के बैंक खाते में जमा कर दिया जाता है।

प्राप्ति एवं निर्गत

निदेशालय में जो भी पत्र अथवा आवेदन प्राप्त होते हैं उन्हें वितरण शाखा के माध्यम से संबंधित शाखा में निदेशक के संक्षिप्त हस्ताक्षर एवं उपयुक्त पृष्ठांकन के बाद भेज दिया जाता है । उसके बाद संबंधित शाखा द्वारा उस पर कार्रवाई अपनाई जाती है। जिसे क्रमबद्ध तरीका से उपस्थापित करते हुए निर्णय लिया जाता है। निर्णय के बाद जो आदेश निदेश होते हैं, निर्गत शाखा के माध्यम से निर्गत किये जाते हैं।

बजट एवं आवंटन

प्रत्येक वर्ष योजना एवं गैर योजना की आवश्यकताओं के आधार पर बजट प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा जाता है । विधायिका द्वारा पारित बजट के आधार पर योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त की जाती है । तद्परान्त बजट प्रावधान के अनुरूप आवंटन संबंधित पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जाता है।

व्यय

उपलब्ध कराये गये आवंटन के अनुरूप संबंधित पदाधिकारी वेतन एवं अन्य मद में आवंटित राशि के अनुरूप निकासी करते है एवं निकासी के पश्चात् व्यय प्रतिवेदन निदेशक मत्स्य को समर्पित करते है।

पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन

विभागीय कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण परिक्षेत्र के पदाधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर किया जाता है। प्रत्येक माह में परिक्षेत्र स्तर पर बैठक कर कार्यरत सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक में की जाती है एवं तत् संबंधी प्रतिवेदन परिक्षेत्र कार्यालयों द्वारा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाता है। निदेशालय स्तर पर भी विभागीय बैठक प्रतिमाह की जाती है एवं बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा की जाती है एवं विभागीय सभी कार्यों से संबंधित प्रतिवेदन को समेकित कर सरकार में भेजा जाता है।

स्थानान्तरण एवं प्रोन्नति

समय–समय पर पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्थानान्तरण एवं प्रोन्नति नियमानुसार की जाती है। अन्य कार्य भी नियमों एवं प्रावधानों के अनुरूप किये जाते हैं।

धारा(4) (1) ख (iv)

अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वंय द्वारा स्थापित मापमान/मानक

मत्स्य निदेशालय के कार्यों के निर्वाहन बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम 2006, सचिवालय अनुदेश, बजट मैन्यूल, वित्त विभाग के द्वारा निर्गत अनुदेश के अनुसार किया जाता है । बजट उपबंध के अनुसार विभागीय योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त कर विकास कार्यक्रमों का संपादन किया जाता है ।

धारा(4) (1) ख (v)

अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारयों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम 2006, कृषि विभाग के परिपत्र 3293 दिनांक 26.11.66 के अनुसार प्रदत्त वित्तीय शक्ति, मत्स्य निदेशालय पत्रांक 2193 दिनांक 29.10.65 के द्वारा निर्धारित कर्त्तव्य, निदेशालय पत्रंक 3817 दिनांक 8.11.69 के निदेशानुसार कार्यालय का निरीक्षण, निदेशालय पत्रांक 167 दिनांक 27.1.67 के अनुसार विभागीय परीक्षा का आयोजन किया जाता है । समय–समय पर सरकार द्वारा निर्गत संकल्प एवं आदेश का अनुपालन किया जाता है ।

यह सभी परिपत्र मत्स्य निदेशालय में उपलब्ध है ।

धारा(4) (1) ख (vi)

ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है प्रसंगों का विवरण।

मत्स्य सेवा के पदाधिकारियों/कर्मचारियों का सेवा इतिहास, नियुक्ति पत्र, वरीयता सूची, चारित्री, आंतरिक निगरानी प्रतिवेदन, बजट से संबंधित अभिलेख, लौगबुक, लेखा से संबंधित अभिलेख तथा क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त विभागीय कार्यक्रमों से संबंधित प्रतिवेदन इत्यादि। जिला स्तर पर बन्दोबस्ती के एवं जिला में उपलब्ध सरकारी एवं गैर सरकारी जलक्षेत्रों की सूचना उपलब्ध है । विभिन्न प्रखंडों में कार्यरत मत्स्यजीवी सहयोग समिति की सूची और समिति संबंधी अन्य विवरण जिला स्तर पर उपलब्ध है ।

धारा(4) (1) ख (vii)

किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान

वर्त्तमान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ।

धारा(4) (1) ख (viii)

ऐसे बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है, जिसका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत तक जनता की पहुच होगी, विवरणी

मत्स्य निदेशालय के अधीन सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना के तहत, स्क्रीनिंग समिति, क्रय समिति, स्थानान्तरण एवं पदस्थापन समिति, प्रोन्नति समिति का गठन है, लेकिन इसके बैठकों के कार्यवृत तक जनता की पहुंच का प्रावधान नहीं है।

<u>धारा(4) (1) ख (ix)</u>

<u>अपने अधिकारियों की निदेशिका पशुपालन, बिहार, पटना</u>।

क्रं0	पदनाम	पदा0/कर्म0 का नाम	सेवा/सम्वर्ग	वेतनमान	दुरभाष सं0	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रधान सचिव	श्री भानु प्रताप शर्मा	भा0 प्र0 से0	18400-22400	2226543 (O)	–
2	संयुक्त सचिव	श्री ब्रह्मचारी चन्द्रशेखर प्रसाद	बि0 प्र0 से0	14300-18300	—	
3	उप सचिव	श्री विनोद झा	बि0 प्र0 से0	12000-16500	2226046 (O)	–
4	अवर सचिव	श्री नन्दजी सिंह	बि0 प्र0 से0			

धारा(4) (1) ख (x)

पशुपालन विभाग (मुख्यालय) के अन्तर्गत कार्यरत पदाधिकारी/कर्मचारी का मासिक पारिश्रमिक (वेतन) दिनांक 31.03.2006 तक।

क्रं0	नाम	पदनाम	वेतनमान	प्राप्त कुल वेतन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री आर. एन. चौधरी	निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना	12000-16500	30970.00	
2	श्री निशात अहमद	उप मत्स्य निदेशक (मु.)	8000-13500	23094.00	
3	श्री मनोज कुमार	उप मत्स्य निदेशक (सां. वि.)	8000-13500	22521.00	
4	श्री उपेन्द्र कुमार मधुप	उप मत्स्य निदेशक (रा.प.ई.)			
5	श्री सियालाल साहु	सहायक अभ्यिंता (मु.)	6500-10500	23624.00	
6	श्री विदयापति झा	सहायक मत्स्य निदेशक (यो.)	6500-9000 8000-13500	24241.00	
7	श्री रणवीर प्रसाद सिंह	प्रशाखा पदाधिकारी	6500-10500	22373.00	
8	श्री मदन प्रसाद	प्रशाखा पदाधिकारी	6500-10500	20010.00	
9	श्री रामाकांत शर्मा	मत्स्य निदेशक के सचिव	5500-9000	17661.00	
10	श्री सुरेन्द्र प्रसाद	सहायक	6500-10500	15981.00	
11	श्री प्रदीप कुमार	सहायक	5500-9000	16012.00	
12	श्री निर्मल कुमार	सहायक	5500-9000	16931.00	
13	श्री प्रभु दयाल राम	सहायक	5500-9000	18203.00	
14	श्री मनोहर चौधरी	सहायक	5500-9000	15837.00	
15	श्री उपेन्द्र प्र. पोद्दार	सहायक	5500-9000	14491.00	
16	श्री नितिश्वर सिंह	सहायक	5500-9000	15471.00	

17	श्री संजय कुमार	सहायक	5500-9000	15471.00	
18	श्री राघवेन्द्र झा	सहायक	5500-9000	15471.00	
19	श्री विनोद बहादुर	टंकक (प्रधान)	6500-10500	17786.00	
20	श्री कमल पासवान	टंकक	6500-10500	16535.00	
21	श्री रविन्द्र प्रसाद	टंकक	6500-10500	14802.00	
22	श्री कमल प्रसाद	दिनचर्या लिपिक	5000-8000	14846	
23	श्री रंजीत कुमार	संगणक	4500-7000	12865.00	
24	श्री मनोज कुमार पांडेय	मत्स्य प्रसार पदा.	5500-9000	15282.00	
25	श्री अनिल कुमार	मत्स्य प्रसार पदा.	5500-9000	15471.00	
26	श्री पारस नाथ चौधरी	सांख्यिकी सहायक	5500-9000	18026.00	
27	श्री राजेश्वार सिंह	कनीय अभियंता	10000-15200	26221.00	
28	श्री देवेन्द्र प्रसाद	चालक	4000-6000	8941.00	
29	श्री लक्ष्मी मंडल	फरास	2650-4000	7792.00	
30	श्री नरेश पासवान	अभिलेखवाह	2650-4000	8645.00	
31		सांख्यिकी सहायक	5000-8000	रिक्त	
32		अंकेक्षण सहायक	रिक्त		
33		लेखापाल	रिक्त		
34	श्री देव प्रकाश	मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक	5000-8000	14600.00	
35		विपत्र लिपिक	रिक्त		
36		ड्राफ्टमैन	रिक्त		
37		रोकड़पाल	रिक्त		
38		ट्रेजरी सरकार	रिक्त		

	आदेशपाल (चतुर्थ वर्ग)				
39	श्री भुनेश्वर प्रसाद	पदचर	2750-4400	8883.00	
40	श्री कपिलेश्वर यादव	पदचर	2750-4400	7792.00	
41	श्री राम सागर पंडित	पदचर	2750-4400	8698.00	
42	श्री जवाहर लाल यादव	पदचर	2650-4000	8698.00	
43	श्री सीता राम लाल	पदचर	2650-4000	7652.00	
44	श्री लक्ष्मी मंडल	पदचर	2650-4000	8728.00	
45	श्री मुन्ना राम	पदचर	2650-4000	8541.00	
46	श्री चंद्रदीप प्रसाद	पदचर	2650-4000	8698.00	
47	श्री दीनानाथ यादव	पदचर	2750-4400	8385.00	
48	श्री आशीष कुमार गुप्ता	पदचर	2550-3200	6067.00	

धारा(4) (1) ख (xi)

सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गये संवितरणों पर रिर्पोटों की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट वर्ष 2005–06

क्रं0	शीर्ष / उप शीर्ष	बजट प्रावधान	आवंटन वितरित	व्यय	अभ्युिक्ति
1	2	3	4	5	6
1	2415 – कृषि अनुसंधान और शिक्षा 004–अनुसंधान 0001– मत्स्य अनुसंधान योजना (गै. यो)	29,52,000	29,52,000	20,32,300	
2	2405 – मछली पालन 001–निदेशन तथा प्रशासन 0001– मत्स्य विकास योजना	6,83,90,000	6,83,90,000	5,08,09,400	
3	2405 – मछली पालन 001– निदेशन तथा प्रशासन 0002– मत्स्य निदेशालय का पुर्नगठन	14,75,000	14,75,000	6,61,800	
4	2405 – मछली पालन 101– अर्न्तदेशीय मछली पालन 0001– मत्स्य पालक विकास अभिकरण	3,43,26,000	3,43,26,000	2321760	
5	2405 – मछली पालन 001– निदेशन तथा प्रशासन 0101– मत्स्य निदेशालय का पुर्नगठन योजना	5,00,000	5,00,000	-	
6	2405 – मछली पालन 001– निदेशन तथा प्रशासन 0102–मत्स्य प्रसार योजना	235000	234150	2,34,150	
7	2405 – मछली पालन 101– अर्न्तदेशीय मत्स्य पालन 0101 – विश्व बैंक परियोजनान्तर्गत मत्स्य विकास पालक अभिकरण	38,00,000	18,00,000	5,23,000	
8	2405 – मछली पालन 101– अर्न्तदेशीय मत्स्य पालन 0102– मछुआ सहयोग समितियों के सदस्यों के सामुहिक जीवन दुर्घटना बीमा हेतु अनुदान	3,50,000	3,50,000	3,50,000	
9	2405 – मछली पालन	32,00,000	32,00,000	26,29,700	

	101– अर्न्तदेशीय मत्स्य पालन 0103– मन मत्स्य का विकास				

10	2405 – मछली पालन 101– अर्न्तदेशीय मत्स्य पालन 0104– तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार	97,00,000	97,00,000	74,03,000	
11	2405 – मछली पालन 101– अर्न्तदेशीय मत्स्य पालन 0106– मछुआरों के लिए आवास, शौचाल, पीयजल एवं अन्य नागरिक सुविधायें	51,00,000	41,50,750	41,50,750	
12	2405 – मछली पालन 101– अर्न्तदेशीय मत्स्य पालन 0107–मत्स्य अनुसंधान योजना	10,00,000	10,00,000	4,75,000	
13	2405 – मछली पालन 101– अर्न्तदेशीय मत्स्य पालन 0110–मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार	6,00,000	2,50,000	2,50,000	

धारा(4) (1) ख (xii)

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन को रीति जिसमें आवंटित (अनुदान) राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभांवतों की विवरणी

मत्स्य पालक विकास योजनान्तर्गत अनुदान की राशि लाभुकों को दी जाती है । भारत सरकार से 75% एवं राज्य सरकार से 25% अनुदान की राशि स्वीकृत की जाती है । भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरुप विभिन्न मत्स्य विकास योजनाओं में अनुदान की राशि बैंक के माध्यम से लाभुक को दिया जाता है ।

, विभिन्न योजनायें, जिसमें अनुदान की राशि दी जाती है, की सूचना निदेशालय एवं जिला मत्स्य कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है । लाभुकों की सूची जिला मत्स्य कार्यालय में उपलब्ध है ।

धारा(4) (1) ख (xiii)

अपने द्वारा रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्ति कर्त्ताओं की विशिष्टियाँ

बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम 2006 के तहत् मत्स्य निदेशालय के अधीन जलकरों के अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन बन्दोबस्ती रियायती दरों पर मत्स्य सहयोग समिति एवं इनके सदस्यों अथवा मछुआरों के स्वयं सहायता समूह के साथ की जाती है । अधिनियम के धाराओं के अन्तर्गत शिकारमाही का परवाना एवं राजस्व वसूली की जाती है । इसकी सूचना जिला स्तर पर उपलब्ध है ।

धारा(4) (1) ख (xiv)

किसी इलेक्ट्रॉनिक रुप में सूचना के सम्बन्ध में ब्योरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो।

ऐसी सम्प्रति कोई सूचना नहीं है ।

धारा(4) (1) ख (xv)

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे का उल्लेख हो।

कृषि अनुसंधान केन्द्र, मीठापुर, पटना के पुस्ताकालय में मत्स्य विज्ञान से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध हैं । जनता द्वारा उनका उपयोग उसके वाचनालय में किया जा सकता है ।

धारा(4) (1) ख (xvi)

लोक सूचना अधिकारियों, सहायकों के सूचना अधिकारियों एवं अपीलीय अधिकारियों का नाम पदनाम एवं विशिष्टिया

क्रं0	नाम	पदनाम	अधिकार क्षेत्र	फोन न0	अपीलीय अधिकार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री उपेन्द्र कुमार मधुप	उप मत्स्य निदेशक (रा.प.ई.)	निदेशालय स्तर	0612-2238379	श्री निशात अहमद उप मत्स्य निदेशक (मुख्यालय)	लोक सूचना पदाधिकारी
2	–	संयुक्त सचिव ,पशुपालन बिहार, पटना	सचिव स्तर	0612-2224962	सचिव, पशुपालन	लोक सूचना पदाधिकारी
3	–	पटना परिक्षेत्र के उप मत्स्य निदेशक द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी	पटना परिक्षेत्र स्तर	0612-2231541	निदेशक, मत्स्य	लोक सूचना पदाधिकारी
4	–	तिरहुत परिक्षेत्र के उप मत्स्य निदेशक द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी	तिरहुत परिक्षेत्र	0621-2241762	निदेशक, मत्स्य	लोक सूचना पदाधिकारी
5	–	दरभंगा परिक्षेत्र के उप मत्स्य निदेशक द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी	दरभंगा परिक्षेत्र	06272-233487	निदेशक, मत्स्य	लोक सूचना पदाधिकारी
6	–	कोसी परिक्षेत्र के उप मत्स्य निदेशक द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी	कोसी परि क्षेत्र सहरसा	06478-233579	निदेशक, मत्स्य	लोक सूचना पदाधिकारी
7	–	भागलपुर परिक्षेत्र के उप मत्स्य निदेशक द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी	भागलपुर परिक्षेत्र	0641-2421873	निदेशक, मत्स्य	लोक सूचना पदाधिकारी
15	–	जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पटना	पटना जिला		पटना परिक्षेत्र उप निदेशक, पटना	लोक सूचना पदाधिकारी
16	–	जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, नालन्दा	नालन्दा जिला		पटना परिक्षेत्र उप निदेशक, पटना	लोक सूचना पदाधिकारी

17	–	जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, भोजपुर	भोजपुर जिला		पटना परिक्षेत्र उप निदेशक, पटना,	लोक सूचना पदाधिकारी
18	–	जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, रोहतास	रोहतास जिला		पटना परिक्षेत्र उप निदेशक, पटना	लोक सूचना पदाधिकारी
19	–	जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, भागलपुर	भागलपुर जिला		भागलपुर परिक्षेत्र उप निदेशक,	लोक सूचना पदाधिकारी
20	–	जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, खगडियॉ	खगडियॉ जिला		भागलपुर परिक्षेत्र उप निदेशक,	लोक सूचना पदाधिकारी
21	–	जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, मुंगेर	मुंगेर जिला		भागलपुर परिक्षेत्र उप निदेशक,	लोक सूचना पदाधिकारी
22	–	जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	मुजफुरपुर जिला		तिरहुत परिक्षेत्र उप निदेशक, मुजफ्फरपुर	लोक सूचना पदाधिकारी
23	–	जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सीतामढ़ी	सीतामढ़ी जिला		तिरहुत परिक्षेत्र उप निदेशक, मुजफ्फरपुर	लोक सूचना पदाधिकारी
24	–	जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, वैशाली	वैशाली जिला		तिरहुत परिक्षेत्र उप निदेशक, मुजफ्फरपुर	लोक सूचना पदाधिकारी
25	–	जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बेतियॉ	बेतियॉ जिला		तिरहुत परिक्षेत्र उप निदेशक, मुजफ्फरपुर	लोक सूचना पदाधिकारी
26	–	जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, मोतिहारी	मोतिहारी जिला		तिरहुत परिक्षेत्र उप निदेशक, मुजफ्फरपुर	लोक सूचना पदाधिकारी
27	–	जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पूर्णियॉ	पूर्णियॉ जिला		कोसी परिक्षेत्र उप निदेशक, सहरसा	लोक सूचना पदाधिकारी
28	–	जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, कटिहार	कटिहार जिला		कोसी परिक्षेत्र उप निदेशक, सहरसा	लोक सूचना पदाधिकारी
29	–	जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, अररिया	अररिया जिला		कोसी परिक्षेत्र उप निदेशक, सहरसा	लोक सूचना पदाधिकारी

30	–	जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, किशनगंज	किशनगंज जिला		कोसी परिक्षेत्र उप निदेशक, सहरसा	लोक सूचना पदाधिकारी
31	–	जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, दरभंगा	दरभंगा जिला		दरभंगा परिक्षेत्र उप निदेशक, दरभंगा	लोक सूचना पदाधिकारी
32	–	जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बेगूसराय	बेगूसराय जिला		भागलपुर परिक्षेत्र उप निदेशक,	लोक सूचना पदाधिकारी
33	–	जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, मधुबनी	मधुबनी जिला		दरभंगा परिक्षेत्र उप निदेशक, दरभंगा	लोक सूचना पदाधिकारी
34	–	जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, समस्तीपुर	समस्तीपुर जिला		दरभंगा परिक्षेत्र उप निदेशक, दरभंगा	लोक सूचना पदाधिकारी
35	–	जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, छपरा	छपरा जिला		तिरहुत परिक्षेत्र उप निदेशक, मुजफ्फरपुर	लोक सूचना पदाधिकारी
36	–	जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सीवान	सीवान जिला		तिरहुत परिक्षेत्र उप निदेशक, मुजफ्फरपुर	लोक सूचना पदाधिकारी
37	–	जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, गोपालगंज	गोपालगंज जिला		तिरहुत परिक्षेत्र उप निदेशक, मुजफ्फरपुर	लोक सूचना पदाधिकारी
38	–	जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, गया	गया जिला		पटना परिक्षेत्र उप निदेशक, पटना	लोक सूचना पदाधिकारी
39	–	जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, नवादा	नवादा जिला		पटना परिक्षेत्र उप निदेशक, पटना	लोक सूचना पदाधिकारी
40	–	जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, औरंगाबाद	औरंगाबाद जिला		पटना परिक्षेत्र उप निदेशक, पटना	लोक सूचना पदाधिकारी
41	–	जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जहानाबाद	जहानाबाद जिला		पटना परिक्षेत्र उप निदेशक, पटना	लोक सूचना पदाधिकारी
42	–	जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सहरसा	सहरसा जिला		कोसी परिक्षेत्र उप निदेशक, सहरसा	लोक सूचना पदाधिकारी

43	–	जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, मधेपुरा	मधेपुरा जिला		कोसी परिक्षेत्र उप निदेशक, सहरसा	लोक सूचना पदाधिकारी

<u>धारा(4) (1) ख (xvii)</u>

ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए, प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अधतन करेगा।

	राज्य में विभिन्न प्रकार के जलश्रोत एवं जलक्षेत्र	
1	तालाब एवं पोखर	70,000 (हेक्टर)
2	ऑक्स्वो लेक (मन)	9,000 (हेक्टर)
3	मन एवं चौर	1,00,000 (हेक्टर)
4	जलाशय	11,000 (हेक्टर)
5	न्दी	3200 (कि.मी.)
6	सरकारी मत्स्य प्रक्षेत्रों की संख्या	121
7	हैचरी (निगम)	2
8	हैचरी (निजी)	26
9	कुल मत्स्य पालक विकास अभिकरणों की संख्या	33
10	गहण मत्स्य पालन के अन्तर्गत वार्षिक मत्स्य उत्पादन	2180
11	सभी श्रोतों से कुल मत्स्य उत्पादन	279.53 (लाख एम.टी.)

12	कुल मत्स्य बीज उत्पादन	344.94 **(मिलीयन)**